

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110 016

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2018-19/982

दिनांक 24.01.2019

08 02 2019

कार्यालयीय -आदेश

विषय :- माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति की दिनांक 06/09/2018 को आयोजित 31 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन नई दिल्ली का पत्र संख्या 4-2/2016-एल-1 भाषा विभाग दिनांक 11.01.2019 में दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. "क" क्षेत्र में अंग्रेजी को रोका जाए, हिन्दी को बढ़ावा दिए जाने का प्रयत्न किया जाए।
2. हिन्दी संस्थाओं में जहां हिन्दी से संबंधित पद रिक्त हैं, उन्हें अविलम्ब भरा जाए।
3. हिन्दी के लिए देश में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए।
4. हिन्दी भाषा, भाषा के साथ-साथ लिपि के संकट से गुजर रही है। हिन्दी भाषा को देवनागरी लिपि में ही लिखने का प्रयत्न किया जाए।
5. हिन्दी के साथ भारतीय भाषाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाए।
6. दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिन्दी में ग्रहण करें।
7. दूसरी भारतीय भाषाओं से दस-दस अच्छे शब्दों को खोज कर हिन्दी भाषा में जोड़ने का प्रयत्न किया जाए।
8. देश की भाषाओं से हिन्दी को कैसे और समृद्ध किया जा सकता है उसके उपाय किए जाने चाहिए।

कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार उपर्युक्त दर्शाई गई कमियों को दूर करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के साथ इसकी सूचना मंत्रालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

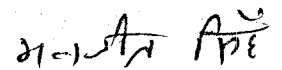
अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र पर दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।



सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव /अनुभाग अधिकारी
3. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
4. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/महिला अध्ययन केन्द्र
5. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
6. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव



सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक: ला.बं.शा/रा.भा./2018-2019/१६३

दिनांक : 28.01.2019
08.02.2019

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र सं.16-1/2018 (राजभाषा) दिनांक 28 दिसम्बर 2018 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ सं.13035-14/2017 रा.भा.ए. दिनांक 27.09.2018 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जो निम्नलिखितानुसार है :-

“विश्वविद्यालय द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए।”

अतः विद्यापीठीय समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

सहायक कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख,
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. प्रकाशन विभाग
8. पुस्तकालयाध्यक्ष
9. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव

सहायक कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (प्रशा0)